कुलसचिव
**Registrar**

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी–2
दूरभाष– 0542 2222689
**Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith**
**Varanasi-2**
**Tel. No.- 0542 2222689**

**पत्रांक :** कु0स0–2 B स0अ0/4762 /02–1332–2022/2022 दिनांकः 22 नवम्बर, 2022

सेवा में,

**प्रबन्धक,**
**जीवक आयुर्वेद मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल रिसर्च सेण्टर,**
**कमलापुर, एकौनी,**
**चन्दौली।**

**विषय :** संस्था के संचालित हेतु सम्बद्धता की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, दिनांक **22.03.2022** के सन्दर्भ में सूच्य है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्विवीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) एवं तद्विषयक विधायी अनुभाग–1 द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या–975/79–1–14–1(क)/19/2014 दिनांक 18 जुलाई, 2014 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 की धारा–37 एवं 38 में किए गये संशोधन के अनुसार महाविद्यालयों को सम्बद्धता देने का अधिकार उत्तर प्रदेश शासन के स्थान पर विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद में अन्तरित/निहित किए जाने के फलस्वरूप सम्बद्धता प्रस्तावों के निस्तारण हेतु शासनादेश संख्या–2527/सत्तर–2–2008–2 (166) 2002 दिनांक 10 जून, 2008 के अधीन गठित सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक **18.11.2022** की संस्तुति एवं मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार कार्यपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में **जीवक आयुर्वेद मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल रिसर्च सेण्टर, कमलापुर, एकौनी, चन्दौली** द्वारा स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत **स्नातक स्तर पर चिकित्सा संकाय के अन्तर्गत बी0ए0एम0एस0 पाठ्यक्रम (60 सीट)** की सम्बद्धता के लिए प्राप्त प्रस्ताव पर सम्यक परीक्षोपरान्त संदर्भित पाठ्यक्रम के लिए सत्र 2020–21 हेतु सशर्त सम्बद्धता अस्थायी की अनुमति प्रदान की जाती है :–

1. संस्था द्वारा एक माह के अन्दर प्रबन्ध समिति का गठन/अनुमोदन का प्रमाण एवं प्रवक्ताओं के वेतन भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत किया जायेगा।
2. संस्था द्वारा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 07 नवम्बर, 2016 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. संस्था शासन द्वारा निर्धारित फीस की धनराशि ही छात्रों से लेगी तथा मेडिकल कालेज में प्रवेश के साधन/विधि के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ को प्रवेशित अभ्यर्थियों एवं रिक्तियों की सूचना नियमानुसार उनके द्वारा निर्धारित समय के अन्दर उन्हें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी तथा इस सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत होने वाले शासनादेशों का पालन करेगी।
5. संस्था निरीक्षण आख्या में इंगित समस्त कमियों एवं सी0सी0आई0एम0/एम0सी0आई0 के सम्बन्धित सत्र के पाठ्यक्रम संचालन अनुमति पत्र में वर्णित शर्तों को अवश्य पूर्ण करेगी।
6. शासनादेश संख्या–883/सत्तर–1–2015 दिनांक 16 नवम्बर, 2015 के सम्बन्ध भविष्य में यदि कोई विसंगति सक्षम प्राधिकारी स्तर अथवा माननीय न्यायालय के स्तर पर उत्पन्न होती है तो इस हेतु समस्त उत्तरदायित्व महाविद्यालय का होगा।
7. संस्था द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की परीक्षा सी0सी0आई0एम0/मेडिकल काउन्सिल ऑफ इण्डिया के नियमों एवं दिशा–निर्देशों से निर्धारित पठन दिवस के उपरान्त ही करायी जायेगी।
8. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस किये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

..........2

9. संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के साथ संलग्न किये गये अभिलेख भविष्य में इतर पाये जाने की स्थिति में सम्बंधित महाविद्यालय की सम्बद्धता के सम्बन्ध में कार्यपरिषद को तत्काल सूचित किया जायेगा जिसके लिए महाविद्यालय प्रबंधन पूर्णतः उत्तरदायी होगा।
10. संस्था आदेश में उल्लिखित शर्तों को महाविद्यालय प्रबन्धन द्वारा पूर्ण नहीं किये जाने पर सम्बद्धता वापस लेने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रकरण कार्यपरिषद को संदर्भित किया जायेगा।
11. उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथा संशोधित उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन अधिनियम 2014) की धारा–37(6), 37(7) तथा 37(8) में प्राविधानित अधोलिखित प्राविधान भी प्रभावी होंगेः–

37(6) :–कार्य परिषद प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय का निरीक्षण, उस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा पांच वर्ष से अनधिक के अन्तराल पर समय–समय पर करायेगा और उस निरीक्षण की रिपोर्ट कार्यपरिषद को दी जायेगी।

37(7) :–कार्य परिषद इस प्रकार निरीक्षण किये गये सम्बद्ध महाविद्यालय को ऐसी कार्रवाई करने का निर्देश कर सकेगा जो उसे उस अवधि के भीतर जिसे विहित किया जाये आवश्यक लगे।

37(8) :–कार्य परिषद द्वारा किसी ऐसे महाविद्यालय की सम्बद्धता का विशेषाधिकार जो उपधारा (7) के अधीन कार्य परिषद के किसी भी निदेश का अनुपालन करने में अथवा सम्बद्धता की शर्तो को पूरा करने में असफल हो महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र से उस विषय पर रिपोर्ट लेने के बाद परिनियमों के उपबन्धो के अनुसार वापस लिया जा सकेगा या कम किया जा सकेगा।

उक्त प्राविधानों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी और शासन को रिपोर्ट प्रेषित की जायेगी।

12. संस्था द्वारा कमियों की पूर्णता के साथ ही महाविद्यालय में संचालित विषयों/पाठ्यक्रम के सापेक्ष उपलब्ध भवन एन0बी0सी0 कोड–2005 के अनुरूप होने का प्रमाण एवं अद्यतन अग्निशमन प्रमाण पत्र व शर्तों के अनुपालन के सन्दर्भ में रू 100/– का शपथ पत्र एक माह के अन्दर प्रस्तुत किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में यह अनुमति स्वतः समाप्त हो जायेगी।
13. उक्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित न किये जाने की स्थिति में आगामी सत्र में संदर्भित विषय/पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

भवदीय,

Harish

कुलसचिव

**प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही :–**

1. वै0स0, कुलपति – मा0 कुलपति जी को सादर सूचनार्थ।
2. अनुसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. विशेष सचिव, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष विभाग अनुभाग–1 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।
4. सचिव, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद 61–65 इन्स्टीच्युशनल एरिया, जनकपुरी, नई दिल्ली।
5. परीक्षा नियंत्रक को इस आशय से कि उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन किये जाने के उपरान्त ही परीक्षा से सम्बन्धित कार्यवाही प्रारम्भ किया जाना सुनिश्चित करें।
6. अधीक्षक (समिति) को इस आशय से कि कृपया कार्यपरिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत कर स्वीकृति प्राप्त करें।
7. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।

कुलसचिव